रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2011/वैशाख 22, 1933

No. 251] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2011/VAISAKHA 22, 1933

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2011

सा.का.नि. 384(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 67 और धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेलवे लाल टैरिफ नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे लाल टैरिफ (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रेलवे लाल टैरिफ नियम, 2000 के नियम 325.1 में—

(i) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(3) पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क' से युक्त वैगनों और निम्नलिखित के बीच कम से कम तीन ऐसे डिब्बे लगाए जाने चाहिए जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हैं:

(क) गाड़ी का इंजन—

परंतु जहां विद्युत (ट्रैक्शन) या डीजल (विद्युत) इंजनों का प्रयोग किया जाता है, वहां पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क' से युक्त वैगनों तथा गाड़ी के इंजन के बीच ऐसा एक डिब्बा लगाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यात्री डिब्बे;

परंतु जब विद्युत (ट्रैक्शन) या डीजल (विद्युत) इंजन का प्रयोग किया जाए तब पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क' से युक्त वैगनों और यात्री डिब्बों के बीच केवल एक ऐसा डिब्बा लगाए जाने की आवश्यकता है जिसमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं है।

(ग) ब्रेकयान;

परंतु जब विद्युत (ट्रैक्शन) या डीजल (विद्युत) इंजन का प्रयोग किया जाए तब पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क' से युक्त वैगनों और ब्रेकयान के बीच केवल एक ऐसा डिब्बा लगाए जाने की आवश्यकता है जिसमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं है :

परंतु यह और कि पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क' से युक्त अंतिम टैंक वैगन (8-पहिया) और ब्रेकयान, यदि 8 पहिया ब्रेकयान का उपयोग किया जाता है, के बीच ऐसे किसी डिब्बे को लगाया जाना अपेक्षित नहीं है;

(घ) विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुओं से युक्त कोई अन्य डिब्बे"।

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(4) पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'ख' से युक्त वैगनों तथा गाड़ी के इंजन या यात्री डिब्बों से ब्रेकयान किसी ऐसे अन्य डिब्बे, जिसमें खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं हैं, के बीच वर्ग केवल एक ऐसा डिब्बा लगाना आवश्यक होगा, जिसमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हैं:

परंतु पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'ख' से युक्त अंतिम टैंक वैगनों (8-पहिया) और ब्रेकयान, यदि 8 पहिया ब्रेकयान का उपयोग किया जाता है, के बीच ऐसे किसी डिब्बे को लगाया जाना अपेक्षित नहीं है" ।

[फा. सं. टीसी-1/2011/307/1]

जी. डी. ब्रह्मा, कार्यपालक निदेशक, यातायात वाणिज्य (दर)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 266 तारीख 26-6-2000 द्वारा 15 जुलाई, 2000 को प्रकाशित किए गए थे और तारीख 19 जुलाई, 2005 को प्रकाशित सा.का.नि. सं. 479(अ), तारीख 15 जुलाई, 2005 द्वारा उनका पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2011

G.S.R. 384(E).—In exercise of the powers conferred by Section 67 and Section 87 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways Red Tariff Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Red Tariff (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railways Red Tariff Rules, 2000, in rule 325.1,—

(i) For sub-rule (3), the following shall be substituted, namely :—

"(3) Wagons containing petroleum and other inflammable liquids, Class 'A', shall be separated by not less than three carriages not containing explosives or other dangerous goods or articles of inflammable nature from:

(a) the train locomotive;

Provided that when an electric (traction) or diesel (electric) locomotive is used, one such carriage is needed to be attached between the wagons containing petroleum and other inflammable liquids, Class 'A' and the locomotive;

(b) the passenger carriage;

Provided that when an electric (traction) or diesel (electric) locomotive is used, only one carriage not containing explosives or other dangerous goods or articles of inflammable nature is needed to be attached between the wagons containing petroleum and other inflammable liquids, Class 'A' and the passenger carriage;

(c) the brake-van;

Provided that when an electric (traction) or diesel (electric) locomotive is used, only one carriage not containing explosives or other dangerous goods or articles of inflammable nature is needed to be attached between the wagons containing petroleum and other inflammable liquids, Class 'A' and the brake-van :

Provided further that no such carriage is required to be attached between the last tank wagon (8-wheeler) containing petroleum and other inflammable liquids, Class 'A' and the brake-van, if an 8-wheeler brake-van is used;

(d) any other carriages containing explosives or other dangerous goods or articles of inflammable nature".

(ii) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely :—

"(4) Wagons containing petroleum and other inflammable liquids, Class 'B', shall be separated by one carriage not containing explosives or other dangerous goods or articles of inflammable nature from the train locomotive or the passenger carriage or the brake-van or any other carriage containing dangerous goods or articles of inflammable nature:

Provided that no such carriage is required to be attached between the last tank wagon (8 wheeler) containing petroleum and other inflammable liquids, Class 'B' and the brake-van, if an 8-wheeler brake-van is used".

[F. No. TC-I/2011/307/1]

G. D. BRAHMA, Executive Director,
Traffic Commercial (Rates)

Note : The principal rules were published on the 15th July, 2000, in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 266 dated 26-6-2000 and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 479(E) dated 15-07-2005, published on 19-07-2005.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.